IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

करनाल जिले में अनुसूचित जाति की छात्राओं की शिक्षा में बाधक कारणों का अध्ययन

मोहिनी देवी
(एम.एड.)
कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरूक्षेत्र

डा० ज्योति खजूरिया
असिस्टैंट प्रोफेसर
शिक्षा विभाग
कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरूक्षेत्र

साराशः

प्रस्तुत शोध का उदेश्य यह पता लगाना है कि ऐसे कौन से कारण है। जो अनुसूचित जाति की छात्राओं की शिक्षा में बाधक बने हुए है। इन्ही कारणो की खोज के लिए प्रस्तुत शोध कार्य में हरियाणा के करनाल जिले में अनुसूचित जाति की लड़कियों की शिक्षा में बाधक कारणों का अध्ययन किया गया है। इस शोध में 25 अध्यापकों तथा 25 अभिभावकों को शामिल किया गया। अध्यापको और अभिभावको के विचारों का अध्ययन किया। इसमें सर्वोक्षण विधि को अपनाया गया। इसमें आंकडो का संग्रह करके प्रतिशत तकनीक लगाकर आंकडो का विश्लेषण किया। इसमें स्वनिर्मित प्रश्नावली आंकडो का विश्लेषण किया। इसमें स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। इस शोध से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि हमारे समाज में आज भी ऐसे बहुत से कारक है। जिससे अनुसूचित जाति की लड़कियों की शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती है। समय तथा संसाधनों की कमी के कारण केवल एक ही जिले पर अध्ययन किया गया है। भारत के इतिहास में हरियाणा का गौरवमय स्थान है। यदि हम इस प्रदेश को भारतवर्ष का हृदय कहें तो यह गलत नहीं होगा। स्वतंत्रता के पश्चात् केन्द्र सरकार व राज्य सरकारो ने दलित व पिछडी श्रेणी की छात्राओं के लिए विशेष सहायता योजनाओं की घोषणा की हुई है। परन्तु उनका दलित वर्ग में स्त्री शिक्षा पर पर्याप्त प्रभाव नहीं पड़ा है। देहाती इलाको व दलित एवं पिछडे वर्गो में महिला शिक्षा के प्रति समाज अभी तक पूर्ण रूप से जागरूक नहीं है। हरियाणा राज्य में पिछले 30 वर्षो से शिक्षा विभाग का ध्यान महिला शिक्षा पर विशेष रूप से रहा है। सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अपने उत्तरादयित्वों को गंभीरता से लिया है। हरियाणा में प्राइवेट संस्थाओं ने भी महिला शिक्षा के प्रसार का कार्य आरम्भ किया।

प्रस्तावनाः

भारत में शिक्षा नीति मानवीय अधिकारों के विकास की दृष्टि से बनाई गई है। यह नीति केवल महिलाओं की शैक्षिक समस्याओं के अवसरो के लिए ही कार्य नहीं करती बल्कि सारी शिक्षा व्यवस्था को नारी की समानताओं तथा अधिकारों की रक्षा के अनुरूप ढालना चाहती है। नारी की स्थिति में मूलभूत परिवर्तन लाने वाले ऐजेंट के रूप में शिक्षा के महत्व को वैदिक काल से ही अनुभव किया गया है। नारी शिक्षा से देश की योग्यता में वृद्धि होती है। नारी शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए बहुत से नियमों को पारित किया गया है। अनुच्छेद 45 राज्य को 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का आदेश देता है। इसके अतिरिक्त एक बड़ी संख्या में शैक्षिक आयोग तथा समितियां बालिकाओं को समान शिक्षा देने तथा लड़के, लड़कियों दोनों के लिए समरूप पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने की आवश्यकताओं पर बल देते है। इन सभी कोशिशों के बावजूद लड़कियों की विशेषकर दलित वर्ग की लड़कियों की स्कूल छोडने की प्रवृति बनी हुई है। ग्रामीण भारत में जहां भारत की तीन चौथाई जनता निवास करती है। अनुसूचित मातृत्व, निरक्षरता, बाल विवाह आदि औरत की पहले से पराधीन स्थिति को और भी अधिक अनिश्चित बनाते है। इसलिए महिला शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। ताकि वह अपनी स्थिति में सुधार कर सके। भारत में मानवीय अधिकारों के विकास की दृष्टि से बनाई गई विभिन्न नीतियों में महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा एक प्रमुख नीति बन गई है।

शोध समस्या का कथनः

करनाल जिले में अनुसूचित जाति की लड़कियों की शिक्षा में बाधक कारणो का अध्ययन

शोध समस्या के उदेश्यः

1. अध्यापकों के अनुसार अनुसूचित जाति की छात्राओं की शिक्षा में बाधक कारणो का अध्ययन करना।
2. अभिभावकों के अनुसार अनुसूचित जाति की छात्राओं की शिखा में बाधक कारणो का अध्ययन करना।
3. अनुसूचित जाति की छात्राओं की शिक्षा में सुधार के लिए सुझाव देना।

परिसीमाएँः

प्रस्तुत शोध कार्य निम्नलिखित परिसीमाओं के अंतर्गत किया गया है।

1. प्रस्तुत शोध कार्य हरियाणा के करनाल जिला में किया गया है।
2. प्रस्तुत शोध केवल अनुसूचित जाति की छात्राओं पर किया गया है।
3. प्रस्तुत शोध कार्य में 25 अध्यापको व 25 अभिभावको से आंकडे इकट्ठे किए गए है।

अध्ययन विधिः

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकत्री ने सर्वेक्षण विधि अपनाया है।

सर्वेक्षण विधिः

सर्वेक्षण में शोधकत्री अपने शोध के आधार पर स्वाभाविक परिस्थिति में व्यक्तियों के समूह द्वारा दिए गए। मत का अध्ययन करती है। सर्वेक्षण में शोककत्री अपने अध्ययन के आधार पर यह जानना चाहती है। कि किसी समस्या के प्रति क्या मत है। सर्वेक्षण एक ऐसी आमने–सामने की परिस्थिति होती है। जिसमें भेंटकर्ती प्रत्याशी से शोध के विषय में कुछ प्रश्न करती है। इन प्रश्नो के उत्तर के आधार पर शोधकत्री निष्कर्ष पर पहुंचती है।

तकनीकः

प्रस्तुत शोध में शोधकत्री द्वारा स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। जिसमें अध्यापको और अभिभावको से हाँ और नहीं में उत्तर प्राप्त किए। इसमें प्रश्नावली के द्वारा आंकडे एकत्रित किए गए।

आंकड़ो का संग्रहः

शोधकत्री ने प्रश्नावली को 25 अध्यापको व 25 अभिभावको से अपने सामने भरवाया ताकि उनको यदि किसी प्रकार का संदेह हो तो तुरून्त दूर किया जा सके। अभिभावको व अध्यापको पर प्रश्नावली प्रशासित की गई। प्रश्नावलियों से स्पष्ट किया गया है। कि सूचनाओ शोध कार्य के लिए इक्कठी की जा रही है। तथा इन्हे गोपनीय रखा जाएगा। इस प्रकार सूचनादाता को विश्वास में लेकर आंकडे एकत्रित करने में सहायता मिली।

आंकडो का विश्लेषणः

प्रत्येक एकांश के सामने दिए गए 'हाँ' या 'नहीं' पर लगाए गए चिन्हो को अलग–अलग जोड़ कर कुल संख्या का पता लगाया गया। जिसे प्रत्येक प्रश्नावली के अनुसार प्रतिज्ञत में बदला गया।

सांख्यिकीय तकनीकः

प्रस्तुत शोध में शोधकत्री द्वारा प्रश्नावली से प्राप्त हुए आंकड़ो को प्रतिशत में बदल कर निष्कर्ष प्राप्त किया गया।

अध्यापकों के लिए

क्रसं०		प्रतिशत	
		हाँ	नहीं
1.	क्या अनुसूचित जाति की लड़कियां पढ़ाई दूसरी लड़कियों के समान है?	72	28
2.	क्या ये लड़कियां घर से स्कूल में समय पर पहुंचती है?	76	24
3.	क्या ये साफ–स्वच्छ बन कर आती है?	68	32
4.	क्या ये पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेती है?	52	48
5.	क्या इनको अतिरिक्त सरकारी प्रोत्साहन की जरूरत है?	80	20
6.	क्या आप इनकी प्रगति रिपोर्ट इनके अभिभावकों के पास नियमित रूप से भेजते है?	80	20
7.	क्या ये लड़कियां हीन भावना से ग्रस्त हे?	48	52
8.	क्या ये लड़कियां अनुशासन में रहती है?	12	88
9.	क्या ये लड़कियां शिक्षा के प्रति जागरूक है?	36	64
10.	क्या घर से विद्यालय की दूरी इनकी उपस्थिति को प्रभावित करती है?	56	44
11.	क्या इन लड़कियों को अतिरिक्त क्लासों की जरूरत है?	84	16
12.	क्या विद्यालय में अन्य छात्र–छात्राएं इनका सम्मान करते हैं?	88	12
13.	क्या इनके अभिभावक इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते है?	48	52
14.	क्या ये लड़कियां खेलकूद में भाग लेती है?	28	72
15.	क्या पढ़ाई इनकी समझ में आती है?	80	20

अभिवाकों के लिए

क्र.सं०		प्रतिशत	
		हाँ	नहीं
1.	क्या आप लड़कियों की पढ़ाई को आवश्यक समझते है?	72	28
2.	क्या आप लड़की को लड़कों जितना पढ़ाना चाहते है?	32	68
3.	क्या आप लड़की को नौकरी करवाना पसंद करते है?	36	64
4.	क्या घर पढ़ने का समय अलग से देते हैं?	40	60
5.	जब लड़की फेल हो जाती है तो आप फिर से पढ़ने का मौका देते है?	16	84
6.	क्या आपकी लड़की स्कूल जाने के लिए जिद्द करती है?	72	28
7.	क्या आप सामाजिक प्रतिबंधों के कारण लड़की को पढ़ने से रोकते है?	80	20
8.	क्या शिक्षित लड़की की शादी करने में कोई परेशानी आती है?	56	44

9. क्या आप अपनी लड़की को पढ़ाई की अपेक्षा घरेलू कार्य सिखाना ज्यादा जरूरी समझते है?	84	16
10. क्या आपकी बच्ची को स्कूल में उचित प्रोत्साहन मिलता है?	64	36
11. क्या आपकी लड़की से स्कूली में किसी प्रकार का भेदभाव किया जाता है?	12	88
12. क्या आपकी लड़की को विद्यालय में जाने से डर लगता है?	28	72
13. क्या आप पढ़ाई के लिए लड़की को शहर भेजना करोगे?	32	68
14. क्या लड़कियों के लिए स्कूल का वातावरण ठीक है?	100	00
15. क्या आप स्कूल की पढ़ाई से संतुष्ट है?	80	20

निष्कर्ष

आंकडों के विश्लेषण और व्याख्या करने के दौरान शोधकत्री को विद्यालयों की अनुसूचित जाति की लड़कियों की शिक्षा में जिन बाधक कारणों का संकेत मिला है। उनका वर्णन निम्नलिखित दो भागों में किया गया है।

(क) अध्यापकों की राय में बाधक कारणः

1. इन लड़कियों के अभिभावक इनकी स्कूल संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ है। जिससे इनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती है।
2. अनुसूचित जाति की लड़कियों को अतिरिक्त क्लासो की आवश्यकता है। जिनका प्रबंध न होने से इनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती है।
3. घर से विद्यालय की अधिक दूरी इनकी शिक्षा में बाधक है। स्कूल दूर होने के कारण ये लड़किया पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देती है।
4. अध्यापको के मत अनुसार ये लड़कियाँ शिक्षा के प्रति दूरी तरह से जागरूक नहीं है। अतः शिक्षा के प्रति जागरूक न होना शिक्षा में बाधक कारण है।
5. अध्यापको का कहना है। कि अनुसूचित जाति की लड़कियों को जो सरकारी प्रोत्साहन मिलता है। वह काफी नहीं है। अतः सरकारी प्रोत्साहन की कमी इनकी शिक्षा में बाधक कारण है।
6. ये लड़कियां खेल कूद में हिस्सा नहीं लेती। जिनकी कमी से स्कूल इनको उतना अच्छा नहीं लगता जितना लगना चाहिए। जिससे इनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती है।

(ख) अभिभावकों की राय में बाधक कारणः

1. अधिकतर अभिभावको का मानना है। कि शिक्षित लड़की की शादी करने से कठिनाई आती है। जो कि लड़कियो की शिक्षा में बाधक कारण है।

2. ज्यादातर अभिभावको को लड़कियों से नौकरी करवाना अच्छा नहीं लगता। इस कारण वे लड़कियों की शिक्षा को व्यर्थ समझते है। यह धारण इनकी शिक्षा में बाधक कारण है।
3. अधिकतर अभिभावक सामाजिक प्रतिबंधो के कारण लड़की को पढ़ने से रोक देते है। यह उनकी शिक्षा में बाधक कारण है।
4. जब कोई लड़की किसी कक्षा में फेल हो जाती है। तो बहुत से अभिभावक लड़की को दोबारा पढ़ने का मौका नहीं देते।
5. अभिभावक लड़कियों को पढ़ाई के लिए शहर भेजना पसन्द नहीं करते तथा ग्रामीण क्षेत्रो में शिक्षा के अच्छे संस्थानो का न होना शिक्षा में बाधक कारण है।
6. बहुत सी लड़कियों के माता पिता उनको पढ़ने का समय अलग से नहीं देते जिससे वे दूसरी लड़कियों से पढ़ाई में पीछे रह जाती है। यह शिक्षा में बाधक कारण है।
7. अधिकतर अभिभावक लड़कियों को लड़को के जितना नहीं पढ़ाना चाहते वे लोग लड़को की शिक्षा को लड़कियों की शिक्षा से ज्यादा महत्व देते है। जिससे लड़कियों की शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती है।
8. बहुत से अभिभावक लड़कियों से घरेलू कार्य करवाना चाहते है। शिक्षा की अपेक्षा घर के काम को अधिक महत्व देते है। इसलिए घर के काम की कार्यभार की अधिकता से अनुसूचित जाति की छात्राओं की शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

सुझावः

निष्कर्षो के आधार पर अनुसूचित जाति की छात्राओं की पढ़ाई में बाधक कारणो को दूर करने के लिए निम्न सुझाव दिए जाते है।

1. अनुसूचित जाति की छात्राओं की पढ़ाई के लिए दी जाने वाली सहायता राशि में बढोतरी करनी चाहिए। जिससे उनकी पाठ्य सामग्री तथा अतिरिक्त क्लासो का टयूशन तथा वर्दी आदि का अच्छा प्रबंध हो सके।
2. सरकार को चाहिए कि जो माता पिता अपनी बेटियो को कोई बहाना बनाकर घर पर रोक लेते है। ऐसे कानून बना दिये जाए। ताकि सभी माता–पिता अपनी लड़कियों को पढ़ाने के लिए बाध्य हो। दूसरी तरफ अनुसूचित जाति की लड़कियों की शिक्षा पर खर्च स्वयं सरकार करें।
3. अध्यापकों को भी इस वर्ग के विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे इन लड़कियों की भागीदारी शिक्षा, खेल व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके तथा अनुसूचित जाति की लड़कियो के आत्मबल व आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो सके।

4. स्कूल में पुस्तकालय, रोचक साहित्य आदि का भी ज्यादा से ज्यादा प्रबंध करना चाहिए। ताकि छात्राओं की वहां रूचि रहे। व्यावसायिक जानकारी, मार्गदर्शन संबंधी किताबे भी स्कूल में ही होनी चाहिए, ताकि उसी समय लड़कियां अपने भविष्य के बारे में सोच सके और अपना उदेश्य निर्धारित कर सके।
5. सरकार को केवल प्राईमरी स्कूल की बजाय गांव में व्यावसायिक शिक्षण तथा माध्यमिक स्कूलो का प्रबंध में करना होगा। तथा सरकार द्वारा गरीब लड़कियों के लिए होस्टल आदि की व्यवस्था भी करना चाहिए।
6. ग्रामीण क्षेत्रो में अनुसूचित जाति की अध्यापिकाओं की नियुक्त करनी चाहिए, ताकि अनुसूचित जाति की लड़कियों और उनके माता–पिता के दृष्टिकोण में परिवर्तन आए और वे अपनी बेटियो की शिक्षा के लिए ज्यादा प्रेरित है।
7. अनुसूचित जाति के माता–पिता को उनकी बेटियों की शिक्षा के लिए अधिक जागरूक करने व अधिक प्रेरित करने की आवश्यकता है। यह काम सरकारी व गैर सरकारी संगठन मिलजुलकर कर सकते है।
8. सरकार को अनुसूचित जाति की शिक्षित महिलाओं को वयवसाय के लिए ज्यादा से ज्यादा सहायता देनी चाहिए। ताकि इससे अन्य लड़कियों पर भी अच्छा प्रभाव पडे, और वे शिक्षा के लिए आगे आए ।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. थामस, पी.डी (1970), युगो से भारतीय महिलाएं, एशिय पब्लिशिंग हाऊस बम्बई ।
2. बेस्ट जॉन डब्ल्यू, रिसर्च इन एजूकेशन प्रोटिस हाल ऑफ ।
3. गैरेट, हैनरी (1981), स्टेटिसाटिक्स इन साईकोलॉजी एण्ड सिमोनस लिमिटेड बम्बई ।
4. भारत सरकार (1992), राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली ।
5. डॉ. मंगल, एस.के. (1989), शैक्षिक तकनीकी के मूल आधार ।
6. कुमार स्वामी, ए. के (1958), द स्टेट्स ऑफ हिंदु वोमैन, एशिया पब्लिशिंग हाऊस, बम्बई ।
7. लता, मंजू (2004), अनुसूचित जाति में महिला उत्पीड़न, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली ।
8. बेस्ट डब्ल्यू जॉन (1977), रिसर्च इन एजुकेशन, ब्रिटिश हाल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली ।
9. पाठक, पी. डी. (2005–2006), भारतीय शिक्षा के आयोग, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा ।
10. द्विवेदी ''अमित रत्न'' और ठाकुर गोपाल कृष्ण (2019), भारतीय संदर्भ में नारी शिक्षा ।
11. कुमारी ''सारथी'' (2019), महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका ।